प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 71/**2026** (अपील सूचना का अधिकार)

वीरेन्द्र सिंह पताः एस–2, 304 जगदम्बा अपार्टमेंट, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर
..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर
..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 31.12.2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर ग्राम कालारोही की भूमि आराजी संख्या 3347 से 3350 एवं आराजी संख्या 3333 एवं 1391, 1399 की भूमि पर किए जो रहे रिसोर्ट/होटल निर्माण, उसकी स्वीकृति, विभागीय पत्राचार की पत्रावली के संबंध में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/71/26/434–35 दिनांक 23.03.2026 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.12.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में ग्राम कालारोही की भूमि आराजी संख्या 3347 से 3350 तथा आराजी संख्या 3333, 1391 एवं 1399 पर किए जा रहे रिसोर्ट/होटल निर्माण से संबंधित स्वीकृतियों, विभागीय पत्राचार एवं पत्रावली के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना का संबंध शासकीय अभिलेखों एवं सार्वजनिक गतिविधियों (निर्माण स्वीकृति, भूमि उपयोग, विभागीय कार्यवाही आदि) से है, अतः ऐसी सूचना अभिलेखों में उपलब्ध होने की स्थिति में प्रदान की जानी अपेक्षित है। परन्तु यदि चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी हो एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 व 9 में अपवर्जित हो तो सूचना के ऐसे भाग के लिए मना किया जा सकता है। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा न तो निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध करवाई गई तथा न ही प्रथम अपील के उपरांत कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जो कि अधिनियम के प्रावधानों का विपरीत है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.2[illegible] 4:30:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22423675
M e-Sign

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उपलब्ध अभिलेखीय सूचना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निशुल्क उपलब्ध कराएं एवं यदि किसी बिंदु पर सूचना उपलब्ध नहीं है अथवा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपवर्जित है, तो उसके संबंध में कारण अंकित करते हुए अवगत कराएं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते

RajKaj Ref No.:
22423675
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.[illegible] 14:30:19 IST
Reason: Approved